न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— सतीश कुमार झा
निर्णय की तिथिः— 27.07.2026
उत्पाद वाद सं0.-332/2019
बिहार राज्य बनाम् लल्लू चौधरी।

सूचक	श्री विनोद कुमार झा, पु0अ0नि0 शेखपुरा थाना, जिला—शेखपुरा।
सूचक के विद्वान अधिवक्ता	श्री अरविंद कुमार, विशेष लोक अभियोजक, शेखपुरा।
अभियुक्त	(1) लल्लू चौधरी, पे0 स्व0 नंदे चौधरी, उम्र—28 वर्ष, साकिन—नारायणपुर, थाना—बरबीघा, जिला—शेखपुरा।
अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता	श्री गोपाल कुमार।

FORM B

घटना की तिथि	01.10.2019
प्राथमिकी दर्ज करने की तिथि	01.10.2019
आरोप गठन की तिथि	22.11.2021
गवाही आरंभ की तिथि	22.08.2022
निर्णय निर्धारण की तिथि	14.07.2026
निर्णय की तिथि	**27.07.2026**
सजा की तिथि	———

अभियुक्त का विवरणः—

क्रम सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	बरी या सजा	निर्धारित सजा	विचारण के दौरान धारा 428 द0 प्र0 सं0 के तहत नरजबंद
1.	लल्लू चौधरी	02.10.2019	20.11.2019	भा0द0वि0 की धारा 272, 273 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 30(a), 30(d)	**बरी**	———	————

FORM C
अभियोजन साक्षी

क्रम सं0	नाम
साक्षी संख्या 1	विनोद कुमार झा
साक्षी संख्या 2	मनोज कुमार
साक्षी संख्या 3	मो0 निशार अहमद
साक्षी संख्या 4	संजय कुमार राव
साक्षी संख्या 5	अजय चौधरी

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— सतीश कुमार झा
निर्णय की तिथिः— 27.07.2026
उत्पाद वाद सं0.-332/2019
बिहार राज्य बनाम् लल्लू चौधरी।

साक्षी संख्या 6	रौशन कुमार
साक्षी संख्या 7	मोहन कुमार

FORM D
प्रतिरक्षा साक्षी

क्रम	नाम
—	—
शून्य	शून्य

FORM E
प्रतिरक्षा साक्षी

क्रम	नाम
—	—
—	—

परिवादी / प्रतिरक्षा / न्यायालय प्रदर्श की सूची
अभियोजन पक्ष

क्रम	प्रदर्श
1.	साक्षी सं0—01 ने जप्ती सूची पर उनकी लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचान किया, को प्रदर्श—**"P1/PW1"**
2.	साक्षी सं0—01 ने गिरफ्तारी मेमों पर पर उनकी लिखावट एवं हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"P2/PW1"**
3.	साक्षी सं0—01 ने लिखित आवेदन इनके द्वारा तैयार किया गया था, जिसपर अपना हस्ताक्षर को पहचान किये, जिसे प्रदर्श—**"P3/PW1"**
4.	साक्षी सं0—01 ने कांड का अनुसंधान संबंधी पृष्ठांकन पर अपनी लिखावट व हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"P3/1/PW1"**
5.	साक्षी सं0—01 ने औपचारिक प्राथमिकी पर अपना हस्ताक्षर में था, को पहचान किया, जिसे प्रदर्श—**"P4/PW1"**
6.	साक्षी सं0—03 ने पटना से प्राप्त जांच रिपोर्ट है, जिसका पहचान किया, को प्रदर्श—**"P5/PW3"**
7.	साक्षी सं0—06 ने जप्ती सूची पर अपना हस्ताक्षर को पहचान किया, को प्रदर्श—**"P1/1/PW6"**
8.	साक्षी सं0—06 ने गिरफ्तारी मेमों पर अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श—**"P2/1/PW6"**
9.	साक्षी सं0—07 ने विनष्टीकरण प्रमाण पत्र है, जो कि बरबीघा थानाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया हुआ, जिसको पहचान किया, को प्रदर्श—**"P6/PW7"**
10.	साक्षी सं0—07 ने 18 लीटर छोवा विनष्ट कर दिया गया, विनष्टीकरण क्रम सं0—16 को प्रदर्श—**"P6/1/PW7"** अंकित कराया था।

B प्रतिरक्षा पक्ष

—	—
	शून्य

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— सतीश कुमार झा
निर्णय की तिथिः— 27.07.2026
उत्पाद वाद सं0.-332/2019
बिहार राज्य बनाम् लल्लू चौधरी।

C वस्तु प्रदर्श

क्रम	प्रदर्श
1.	साक्षी सं0—07 ने सुरक्षित नमूना, जो प्लास्टिक के बोतल में सीलबंद था जिसका पहचान किया, को प्रदर्श—**"M1/PW7"**
2.	साक्षी सं0—07 ने घटना के समय जप्त एल्युमिनियम का तसला है, जिसपर केस नंबर 220/19 एम0आर0 नंबर 35/19 अंकित था, जिसका पहचान किया, को प्रदर्श—**"M2/PW7, & M3/PW7"**
3.	साक्षी सं0—07 ने मिट्टी का चुलाई उपकरण, जिसमें पाईप लगा हुआ था, को प्रदर्श—**"M4/PW7"** अंकित कराया था।

नि र्ण य

(1) उपरोक्त नामांकित अभियुक्त लल्लू चौधरी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 272, 273 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 30(a) एवं 30(d) के अंतर्गत दिनांक 01.10.2019 को समय करीब 11:05 बजे रात्रि में गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम नारायणपुर में अभियुक्त के घर में विधिवत छापामारी किया गया तो कुल 20 लीटर घुला हुआ छोवा एवं शराब बनाने वाला उपकरण बरामद हुआ, के आरोपित अपराध के लिये विचारण किया गया है।

(2) संक्षेप में, सूचक के अभियोजन प्रतिवेदन के आधार पर अभियोजन का वाद इस प्रकार है कि सूचक पु0अ0नि0 विनोद कुमार झा को दिनांक 01.10.2019 को रात्रि 11:05 बजे सरकारी मोबाइल पर गुप्त सूचना मिली कि ग्राम नारायणपुर स्थित अपने घर में लल्लू चौधरी पिता स्व0 नंदे चौधरी धड़ल्ले से शराब चुलाने का काम करता है,, इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए, थाना दैनिकी प्रविष्टि सं0—21/दिनांक—01.10.2019 अंकित करते हुए, सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में थाना के पदा0 स0अ0नि0 मनोज कुमार, स0अ0नि0 संजय कुार राव, ह0 अर्जुन कुमार ओझा, सिपाही/378 सुनील कुमार, गृ0 450440/श्रीकांत कुमार, गृ0 450183/विरेन्द्र सिंह, गृ0 450539 सतेन्द्र कुमार को साथ लेकर सरकारी गाड़े से जैसे ही लल्लू चौधरी के घर के पास ग्राम नारायणपुर पहुंचा कि पुलिस गाड़ी को देखते ही एक व्यक्ति एक घर से तेजी से निकलकर गली की ओर भागा, जिससे संदेह कि स्थिति उत्पन्न हुई और इस भागने वाले व्यक्ति को अपने साथ के सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ा और नाम पता पूछा तो ईधर—उधर देखने के बाद इसने अपना नाम लल्लू चौधरी पिता स्व0 नंदे चौधरी सा0 नारायणपुर थाना बरबीघा जिला शेखपुरा बताये। पुलिस की इस भागदौड़ की गतिविधि को देखेकर, वहां आसपास के लोग भी काफी संख्या में जमा हो गये, तब मौके पर उपस्थित लोगों में से 1. रौशन कुमार पिता संजय चौधरी, 2. अजय चौधरी पिता उमेश चौधरी दोनों सा0 नारायणपुर थाना बरबीघा, जिला शेखपुरा को स्वतंत्र साक्षी मानते हुए इन्हें अपनी तलाशी देते हुए, तलाशी के नियमों का पालन करते हुए, जब पकड़ाये लल्लू चौधरी

के घर की तलाशी लिया गया, तो तलाशी के क्रम में लल्लू चौधरी के छतदार घर में प्रथम तला पर एक कमरा में बोरा से ढककर छुपाकर रखा हुआ पांच लीटर वाला अलग–अलग चार गैलन में कुल 20 लीटर उबलता हुआ घुला छोआ, जिसे शराब बनाने में उपयोग किया जाता था, बरामद हुआ तथा वहीं पर बगल में ढककर रखा हुआ एक शराब बनाने वाला उपकरण एवं उस पर दो तसला रखा हुआ, बरामद हुआ। बरामद 20 लीटर घुला छोवा एवं शराब बनाने वाला उपकरण के बारे में पूछने पर पकड़ाये लल्लू चौधरी ने कोई संतोषजनक बात नहीं बताए और चुप्पी लगा लिये, फिर कुछ समय रूककर बोला कि कोई काम–धंधा नहीं मिलता था, इसलिए शराब बनाने का धंधा करते थे। तब बरामद उक्त सभी समानों को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया, जिसपर दोनों साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिये। जप्ती सूची की एक प्रति पकड़ाये लल्लू चौधरी को भी दिया गया तथा प्रमाणस्वरूप इनका भी हस्ताक्षर बनवा लिया गया।

उक्त आरोप में लल्लू चौधरी पे0 स्व0 नंदे चौधरी सा0 नारायणपुर को रंगे हाथों पकड़ा गया था, जिसे विधिवत गिरफ्तारी मेमों बनाते हुए, गिरफ्तार किया गया।

(3). सूचक के अभियोजन प्रतिवेदन के आधार पर बरबीघा थाना कांड सं0–220/2019, भा0द0वि0 की धारा 272, 273 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 30(a), 30(d) के अंतर्गत दिनांक 01.10.2019 को वाद संस्थित किया गया एवं अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान की समाप्ति पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 272, 273 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 30(a), 30(d) के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया।

(4). विद्वान न्यायालय द्वारा अभियोजन प्रतिवेदन एवं अन्य कागजातों के अवलोकन करने के उपरान्त उपरोक्त नामित अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 272, 273 एवं बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 30(a), 30(d) के अंतर्गत, दिनांक 19.11. 2019 को संज्ञान लिया गया।

(5). उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 22.11.2021 को भा0द0वि0 की धारा 272, 273 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2016 की धारा 30(a), 30(d) के अंतर्गत आरोप गठित किया गया, जिसे अभियुक्त को हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया। अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाये गये आरोप से इंकार किया एवं विचारण का दावा किया।

(6). अभियोजन साक्ष्य बंद होने के उपरान्त अभियुक्त का बयान दिनांक 30.06.2026 को दं0 प्र0 सं0 की धारा 313 के तहत अभिलिखित किया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं निर्दोष होने का अभिवाक् किया।

(7). विद्वान न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन, अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सभी युक्ति–युक्त संदेहों की छाया से परे साबित करने में सफल रहा अथवा नहीं ?

<u>मं त व्य</u>

(8). अभियोजन की ओर से अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गये आरोप को साबित करने के लिए सात मौखिक साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जो निम्न प्रकार हैः––

1. अभियोजन साक्षी सं0–1 विनोद कुमार झा
2. अभियोजन साक्षी सं0–2 मनोज कुमार
3. अभियोजन साक्षी सं0–मो0 निसार अहमद
4. अभियोजन साक्षी सं0–4 संजय कुमार राव
5. अभियोजन साक्षी सं0–5 अजय चौधरी
6. अभियोजन साक्षी सं0–6 रौशन कुमार
7. अभियोजन साक्षी सं0–7 मोहन कुमार

(A) **<u>दस्तावेजी साक्ष्य :–</u>** इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य हैं :–

(i) साक्षी सं0–01 ने जप्ती सूची पर उनकी लिखावट एवं हस्ताक्षर को पहचान किया, को प्रदर्श–**"P1/PW1"**

(ii) साक्षी सं0–01 ने गिरफ्तारी मेमों पर पर उनकी लिखावट एवं हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"P2/PW1"**

(iii) साक्षी सं0–01 ने लिखित आवेदन इनके द्वारा तैयार किया गया था, जिसपर अपना हस्ताक्षर को पहचान किये, जिसे प्रदर्श–**"P3/PW1"**

(iv) साक्षी सं0–01 ने कांड का अनुसंधान संबंधी पृष्ठांकन पर अपनी लिखावट व हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"P3/1/PW1"**

(v) साक्षी सं0–01 ने औपचारिक प्राथमिकी पर अपना हस्ताक्षर में था, को पहचान किया, जिसे प्रदर्श–**"P4/PW1"**

(vi) साक्षी सं0–03 ने पटना से प्राप्त जांच रिपोर्ट है, जिसका पहचान किया गया, को प्रदर्श–**"P5/PW3"**

(vii) साक्षी सं0–06 ने जप्ती सूची पर अपना हस्ताक्षर को पहचान किया, को प्रदर्श–**"P1/1/PW6"**

(viii) साक्षी सं0–06 ने गिरफ्तारी मेमों पर अपना हस्ताक्षर का पहचान किया, को प्रदर्श–**"P2/1/PW6"**

(ix) साक्षी सं0–07 ने विनष्टीकरण प्रमाण पत्र है, जो कि बरबीघा थानाध्यक्ष द्वारा सत्यापित किया हुआ, जिसको पहचान किया, को प्रदर्श–**"P6/PW7"**

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः– सतीश कुमार झा
निर्णय की तिथिः– 27.07.2026
उत्पाद वाद सं0.-332/2019
बिहार राज्य बनाम् लल्लू चौधरी।

(x) साक्षी सं0–07 ने 18 लीटर छोवा विनष्ट कर दिया गया, विनष्टीकरण क्रम सं0–16 को प्रदर्श–**"P6/1/PW7"** अंकित कराया था।

वस्तु प्रदर्शः–

1. साक्षी सं0–07 ने सुरक्षित नमूना, जो प्लास्टिक के बोतल में सीलबंद था जिसका पहचान किया, को प्रदर्श–**"M1/PW7"**

2. साक्षी सं0–07 ने घटना के समय जप्त एल्युमिनियम का तसला है, जिसपर केस नंबर 220/19 एम0आर0 नंबर 35/19 अंकित था, जिसका पहचान किया, को प्रदर्श–**"M2/PW7, & M3/PW7"**

3. साक्षी सं0–07 ने मिट्टी का चुलाई उपकरण, जिसमें पाईप लगा हुआ था, को प्रदर्श–**"M4/PW7"** अंकित कराया था।

(B). इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से अपने सफाई में किसी भी प्रकार का मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(9). बहस सुना। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन अपना मामला एवं अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अभियुक्त दोषमुक्ति के लायक हैं, जबकि अभियोजन ने पूरजोर विरोध करते हुए दलीलें दी है कि अभियोजन अपना मामला को युक्ति–युक्त संदेहों से परे रहकर सिद्ध करने एवं अकाट्य साक्ष्य से साबित करने में सफल रहा है। अभियुक्त दोष–सिद्धि के लायक हैं। अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि अभियोजन द्वारा सात मौखिक साक्षियों को परीक्षित कराया गया है। साथ ही अभियोजन सह जप्ती सूची, जांच प्रतिवेदन इत्यादि को प्रदर्श कराये हैं, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य एवं दस्तावेजी साक्ष्य का गुण–दोष का सूक्ष्म विश्लेषण करना, न्यायोचित समझता हूँ।

(10). तथाकथित घटना के बिन्दु पर अभियोजन साक्षी सं0–01 विनोद कुमार झा हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 01.10.2019 को वह बरबीघा थाना में प्रभारी थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थे। इसी दिन रात्रि दस बजकर पांच मिनट पर थाना के सरकारी मोबाईल पर गुप्त सूचना मिली कि नरायणपुर स्थित अपने घर में लल्लू चौधरी पिता नंदे चौधरी धड़ल्ले से देशी शराब चुलाने का काम कर रहा था। इस सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए, थाना दैनिकी प्रविष्टी सं0 21 अंकित करते हुए थाना के पदाधिकारी स0अ0नि0 मनोज कुमार, संजय कुमार राव, हवलदार अर्जुन कुमार ओझा, सिपाही सुनील कुमार, गृहरक्षक श्रीकांत कुमार, वीरेंद्र कुमार एवं सत्येंद्र कुमार को साथ लेकर सरकारी वाहन से जैसे ही नारायणपुर स्थित लल्लू चौधरी के घर के पास पहुंचा कि पुलिस जीप को देखकर एक व्यक्ति घर से निकलकर तेजी से गली की तरफ भागा, जिसे संदेह की स्थिति

उत्पन्न हुई एवं अपने साथ के सशस्त्र बल के सहयोग से इस भागने वाले व्यक्ति को पकड़ा और नाम पता पूछा तो इस पकड़ाये व्यक्ति ने इधर–उधर देखने के बाद अपना नाम लल्लू चौधरी पिता नंदे चौधरी घर नारायणपुर बताया। पुलिस की इस भागदौड़ की गतिविधि को देखकर यहां पर आसपास के लोग भी काफी संख्या में जमा हो गये। तब उपस्थित लोगों में से रौशन कुमार एवं अजय चौधरी को स्वतंत्र साक्षी मानकर इन्हें अपने तथा अपने सशस्त्र बल की जमा तलाशी देते हुए विधिवत् लल्लू चौधरी एवं इनके घर की विधिवत् तलाशी लिया गया तो तलाशी के क्रम में लल्लू चौधरी के छतदार मकान के प्रथम तल्ला पर बने कमरे में बोरा से ढककर छुपाकर रखा हुआ चार अलग–अलग पांच लीटर वाले गैलन में कुल बीस लीटर उबलता गर्म घुला छोआ बरामद हुआ। तथा यहीं पर बगल में बोरा से ढककर रखा हुआ शराब चुलाने वाला मिट्टी का उपकरण एवं उसपर रखा हुआ दो तसला बरामद हुआ। बरामद छोआ एवं उपकरण तथा शराब बनाने के संबंध में पूछने पर पकड़ाये लल्लू चौधरी ने चुप्पी लगा दिये और कोई संतोषजनक बात नहीं बतायी। पुनः कुछ सेकेंड रूककर बोले कि कोई काम–धंधा नहीं मिल रहा था, इसलिए शराब चुलाने का काम करते थे, तत्पश्चात् बरामद उक्त छोआ एवं उपकरण को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया। जिस पर दोनों साक्षियों ने स्वेच्छा से अपना–अपना हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान बना दिया। जप्ती सूची की एक प्रति पकड़ाये लल्लू चौधरी को भी दिया गया और प्रमाणस्वरूप, इन्होंनें भी स्वेच्छा से अपना हस्ताक्षर जप्ती सूची पर बना दिये। तत्पश्चात् अवैध रूप से शराब बनाने के आरोप में पकड़ाये लल्लू चौधरी को विधिवत् गिरफतारी मेमों बनाते हुए, गिरफतार किया गया एवं अपना यह स्वलिखित बयान कानूनी कार्यवाही के लिए अंकित किया गया। यही वह जप्ती सूची थी, जो उनकी लिखावट व हस्ताक्षर में था, जिस पर साक्षी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान था, जिसे पहचानते थे, साक्षी के पहचान पर प्रदर्श P-1/PW1 अंकित किया गया था। यही वह गिरफतारी मेमों था, जो उनकी लिखावट व हस्ताक्षर में था, जिसे वह पहचानते थे, साक्षी के पहचान पर इसे प्रदर्श P-2/PW1 अंकित गया था। यही उनका स्वलिखित बयान था, जो उनके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उनका हस्ताक्षर भी था, इसे पहचानते थे, साक्षी के पहचान पर प्रदर्श P-3/PW1 अंकित किया गया था। कांड का अनुसंधान प्रभार उनके द्वारा एस0आइ0 निशार अहमद को दिया गया। कांड दर्ज करने एवं अनुसंधान संबंधी निर्देश का पृष्ठांकन उनकी लिखावट व हस्ताक्षर में था, जो उनके ही आवेदन पर पृष्ठांकित था, इसे पहचानते थे, साक्षी के पहचान पर संपूर्ण पृष्ठांकन को प्रदर्श P-3/1/PW1 अंकित किया गया था। इस कांड का औपचारिक प्राथमिकी थाना लेखक मनोज कुमार के द्वारा भरा गया था, जिसपर उनका हस्ताक्षर था, इसे पहचानते थे। साक्षी के पहचान पर संपूर्ण पृष्ठांकन को प्रदर्श P-4/PW1 अंकित किया गया था। मुदालय को पहचानते थे0, उस दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि प्राथमिकी, जप्ती सूची और गिरफतारी मेमों सभी उनकी ही लिखावट में थी। प्राथमिकी में 11:05 बजे में थाना से चलने की बात अंकित था। लेकिन जप्ती सूची में समय 10:40 बजे और गिरफतारी मेमों में समय 10:55 बजे लिखा गया था। उनके द्वारा

लिखा गया था, सूचना 10 बजकर पांच मिनट पर मिली थी, जप्ती सूची उन्होंने 10:40 में बनाया और गिरफतारी मेमों उन्होंने 10:55 में बनाया। उन्होंने अपना स्वलिखित बयान 11 बजे अंकित किया। लेकिन अपने स्वलिखित बयान अंकित करते समय सूचना का समय 10:05 के बदले गलती से 11:05 अंकित हो गया, यह slip of pen थी। आई0ओ0 साहब को दिये गये पुनर्बयान में उन्होंने समय 22:05 ही बताया था, जो कि कांड दैनिकी में अंकित होगा। लेकिन पुनर्बयान में उन्होंने अनुसंधानकर्ता को ऐसा नहीं लिखाया था, एफ0आई0आर0 हेतु लिखित आवेदन स्लिप ऑफ पेन से समय 11:05 हो गया है। अपने लिखित आवेदन में यह नहीं लिखा था कि लल्लू चौधरी का घर किसने बताया था। मुदालय के घर के तीनों तरफ मकान था, एक तरफ रास्ता था। मुदालय के घर के पूरब में संतोष चौधरी का मकान था, पश्चिम में मनोज चौधरी का मकान था, उत्तर में कृष्णा चौधरी का मकान था, दक्षिण में रास्ता था। जो लोग मुदालय के चौहदीदार थे, उनको साक्षी बनाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। लल्लू चौधरी जो भाग रहा था, उसके पास व उसके हाथ से शराब बरामद नहीं हुआ। उसके अकेले रहने व उसके अन्य हिस्सेदार के संबंध में उन्होंने अपने लिखित आवेदन में कोई जिक्र नहीं किया। जिस जप्ती सूची को उन्होंने घटना के समय तैयार किया, उसका स्वतंत्र साक्षी एवं अभियुक्त उस दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। लल्लू चौधरी को पकड़ते समय व बाद में उन्होंने उस मुहल्ले के वार्ड सदस्य से संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। यह साक्षी इस बात से इन्कार किया है कि वह झूठी गवाही दिये थे। साक्षी यह भी इन्कार करते हैं कि लल्लू चौधरी के पास से कोई शराब वगैरह बरामद नहीं हुआ, वे थाना में बैठकर ही झूठा जप्ती सूची बनाये और झूठा एफ0आई0आर0 किया गया और किसी अन्य व्यक्ति को बचाने के लिए लल्लू चौधरी को झूठा फंसा दिया गया।

(11). अभियोजन साक्षी सं0—02 मनोज कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना की तारीख याद नहीं थी। 2019 की घटना थी। वह बरबीघा थाना में पदस्थापित थे। उस दिन वह बिनोद के साथ छापामारी में गये थे। रात्रि दस बजकर पांच मिनट में निकलते थे। दारू की छापामारी हेतु निकले थे। नारायणपुर गए तो लल्लू चौधरी के घर पर छापामारी किये। लोगों ने लल्लू चौधरी का घर बताया था। लल्लू चौधरी घर से भागने लगा तो वे लोग उसको पकड़े और नारायणपुर गांव के दो आदमी को साक्षी बनाकर उसकी तलाशी लिया गया। उसके कपड़े से या शरीर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। तब उसके घर में घुसे थे। उसके घर के छतदार मकान में चार गैलन महुआ खौला रहा था। दारू बनाने वाला मशीन आदि बरामद किये गये। वहीं पर जप्ती सूची बनाये गये और गिरफतारी मेमों बनाया गया। लल्लू चौधरी को पहचानते थे। उस दिन न्यायालय में उपस्थित नहीं थे। प्रतिनिधित्व पर थे।

साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वे लोग थाना से दस बजकर पांच मिनट पर निकले थे। गांव का ही दो आदमी को उनलोगों ने अपनी जमा तलाशी

दिया, उसका नाम नहीं बता सकते। जप्त समान आज उनके समक्ष मौजूद नहीं थी। सभी जितने भी पुलिस वाले थे, सब मिलकर एक बार पकड़े। जिस समय वे लोग पकड़े थे, उस समय उसके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ था। बड़ा—बाबू पता लगाये होंगे, वह नहीं पता लगाये कि कोई गोतिया व रिश्तेदार उसके साथ रहता था या नहीं ? जप्ती सूची एवं गिरफतारी मेमों वहीं बना था। जप्तीसूची में दस चालीस लिखा हुआ था। उनका बयान आई0 ओ0 द्वारा लिया गया। आई ओ0 के द्वारा उनका बयान घटना के ही दिन रात्रि में लिया गया। वह भी घटनास्थल पर गये थे, लेकिन उसकी चौहद्दी वह नहीं बता सकते। यह साक्षी इस बात से इन्कार किया है कि वह झूठी गवाही दिये थे। साक्षी इस बात से भी इन्कार किया है कि लल्लू चौधरी के यहां कोई शराब बरामद नहीं हुआ था, केवल थाना प्रभारी के कहने पर उन्होंने झूठी गवाही दिया था।

(12). अभियोजन साक्षी सं0—03 मो0 निसार अहमद हैं, जो कि इस वाद के अनुसंधानकर्ता हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 01.10.2019 को वह बरबीघा थाना में पदस्थापित थे। बरबीघा थाना काण्ड संख्या—220 / 19 का अनुसंधान का भार उन्हें थानाध्यक्ष बिनोद कुमार झा के द्वारा दिया गया। अनुसंधान का भार देते समय प्राथमिकी, जप्ती सूची, गिरफ्तारी मेमो, जप्त प्रदर्श, अभियुक्त आदि उन्हें हस्तगत किया गया। अनुसंधान का भार ग्रहण करने के बाद प्राथमिकी, जप्ती सूची, गिरफ्तारी मेमों को काण्ड दैनिकी में अंकित किया गया। उसके बाद वादी का पुनः बयान लिया गया। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इस काण्ड का घटनास्थल बरबीघा थाना अंतर्गत थाना से पूरब आधा कि.मी. अभियुक्त का दो मंजिला पक्का मकान था। घटनास्थल का चौहद्दीः उत्तर में कृष्ण चौधरी का पक्का मकान, दक्षिण में गलीनुमा रास्ता, बाद राम प्रसाद चौधरी का मकान, पूरब में संतोष चौधरी का मकान था और पश्चिम में मनोज चौधरी का मकान था। उसके बाद साक्षी रौशन कुमार, स0अ0नि0 मनोज कुमार, स0अ0नि0 संजय कुमार का बयान अंकित किया गया। इन्होंने घटना का समर्थन किये। अनुसंधान के कम में माननीय न्यायलय से अनुमति प्राप्त कर जप्त प्रदर्श को पटना जांच हेतु भेजा गया। पटना से जांच रिपोर्ट थाना में प्राप्त हुई। यह वह जांच रिपोर्ट थी, जिसमें जप्त प्रदर्श में अल्कोहल होने की बात प्राप्त हुई। जॉच रिपोर्ट को वहं पहचानते थे, इसे प्रदर्श—P4/PW3 अंकित किया गया था। उसके बाद वरीय पदाधिकारी का आदेश प्राप्त हुआ, जिसमें काण्ड को सत्य पाया गया। अपने किये गये अनुसंधान का अवलोकन किया गया। सभी बिन्दुओं पर पूर्ण पाया गया। उसके बाद आरोप संख्या—253 / 19 दिनांक 30.10.2019 धारा 272, 273 भा0द0वि0 एवं धारा 30(a) & 30(d) बिहार मद्यनिषेध उत्पाद अधिनियम 2016 के अंतर्गत अभियुक्त लल्लू चौधरी के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया गया। वह अभियुक्त लल्लू चौधरी को पहचानते थे, उस दिन प्रतिनिधित्व आवेदन पर थे।

साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि घटनास्थल के चौहद्दी–दारों का बयान उन्होंने नहीं लिया और ना ही प्रयास किया गया। जिस घर में उन्होंने छापामारी किया था, उस घर में कितने हिस्सेदार थे, पता नहीं किया? घटनास्थल, छापामारी घर का कोई कागजात उन्होंने नहीं देखा। जप्त वस्तु प्रदर्श उस दिन न्यायालय में उपलब्ध नहीं थी। जप्ती सूची उनके सामने नहीं बना था। इस साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने झूठी गवाही दिया था। साक्षी इस बात से भी इन्कार करते हैं कि उनका अनुसंधान त्रुटिपूर्ण थी तथा वरीय पदाधिकारी के कहने पर झूठी गवाही दिये थे।

(13). अभियोजन साक्षी सं0–04 संजय कुमार राव हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 01.10.2019 को वह बरबीघा थाना में स0अ0नि0 के पद पर पदस्थापित थे। उस दिन थानाध्यक्ष बिनोद कुमार झा के सरकारी मोबाईल पर गुप्त सूचना मिली कि लल्लू चौधरी अपने घर पर देशी शराब बना रहा था। सूचना की सत्यापन हेतु थानाध्यक्ष महोदय के साथ स0अ0नि0 मनोज कुमार एवं सशस्त्र बल के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु थाना से प्रस्थान किये। लल्लू चौधरी के घर पर पूरे दलबल के साथ पहुॅंचे। पुलिस टीम को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा, जिसे सशस्त्र बल के सहयोग से पकड़ लिया गया तथा उनसे नाम पता पूछने पर अपना नाम लल्लू चौधरी बताया। पुलिस की कार्यवाही को देखते हुए स्थानीय लोग पहुॅंच गये, जिसमें रौशन कुमार एवं अजय चौधरी को स्वतंत्र साक्षी मानकर उनको अपना जमा तलाशी देते हुए लल्लू चौधरी के घर में तलाशी लिया गया। तलाशी के कम में चार गैलन में करीब 20 लीटर छोवा, मिट्टी का उपकरण, एल्युमिनियम का तसला बरामद हुआ। उसके बाद विधिवत थानाध्यक्ष के द्वारा घटनास्थल पर जप्ती सूची तैयार किया गया। जप्ती सूची की एक प्रति अभियुक्त को दी गयी। इस काण्ड में जप्त प्रदर्श एवं गिरफ्तार अभियुक्त लल्लू चौधरी को लेकर थाना पर वापस आ गये। अभियुक्त लल्लू चौधरी उस दिन न्यायालय में उपस्थित थे, जिसे वह पहचानते थे।

साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि अभियुक्त लल्लू चौधरी को गली से पकड़े थे। उस समय अभियुक्त के पास कोई सामान नहीं था। अभियुक्त के यहॉं से शराब बरामद नहीं हुआ था, सिर्फ छोवा एवं शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ था। जप्त प्रदर्श उस दिन न्यायालय में उपलब्ध नहीं था। घटनास्थल का चौहद्दी याद नहीं थी। घटना के दिन ही पहली बार अभियुक्त लल्लू चौधरी को देखा था और उस दिन न्यायालय में देखा। वे लोग थाना से 10:15 बजे रात्रि में निकले थे। जप्ती सूची में 10:40 बजे अंकित था। पहले लल्लू चौधरी को पकड़ा गया, बाद में उसके घर का तलाशी लिया गया।

यह साक्षी इस बात से इन्कार किया है कि वह झूठी गवाही दिये थे। साक्षी इस बात से भी इन्कार करते हैं कि उन्होंने वरीय पदाधिकारी के कहने पर झूठी गवाही दिया था

तथा अभियुक्त लल्लू चौधरी के यहॉ से कोई शराब बरामद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने समय सही नहीं बताये।

(14). अभियोजन साक्षी सं0—05 अजय चौधरी हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पुलिस उनसे से पूछताछ किया था। वह दारोगा को बोले थे कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानते थे।

उपरोक्त साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है एवं प्रतिपरीक्षण की अनुमति दी गई हैः—

अभियोजन की ओर से अभियुक्त अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पुलिस उनसे टिप्पा का निशान थाना पर लिये थे। ऐसी बात नहीं है कि वह पुलिस को बयान दिये थे कि दिनांक 01. 10.2019 को लल्लू चौधरी के छत्तेदार मकान के प्रथम तल्ला से चार अलग—अलग गैलन में कुल 20 लीटर रावा, उबलता हुआ छोवा, शराब बनाने का उपकरण, दो एल्युमिनियम का तसला बरामद हुआ था। पुलिस सादा कागज पर उनसे टिप्पा लिया था। पुलिस के द्वारा सादा कागज पर टिप्पा लेने का कोई शिकायत नहीं किया था। लल्लू चौधरी मेरे गॉव का था। लल्लू चौधरी का घर उनके घर से दस घर बाद था। लल्लू चौधरी के घर से खाना पीना होता था। उनका वह गॉव ननिहाल था। ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त लल्लू चौधरी चचेरे—ममेरे भाई होने के नाते उन्होंने झूठी गवाही दिया था।

साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि वह ठेला चलाते थे। थाना चौक के पास वह ठेला लगाता था। वहीं से पुलिस बुलाकर थाना पर उनसे सादा कागज पर टिप्पा ले लिया था। वह उस दिन न्यायालय में स्वेच्छा से गवाही दिया था। वह नोटिस पर गवाही देने आया था। यह साक्षी इस बात से इन्कार किया था कि वह झूठी गवाही दिये थे।

(15). अभियोजन साक्षी सं0—06 रौशन कुमार हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पुलिस उनसे पूछताछ नहीं किया था।

उपरोक्त साक्षी को अभियोजन के अनुरोध पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है एवं प्रतिपरीक्षण की अनुमति दी गई हैः—

अभियोजन की ओर से अभियुक्त अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि जप्ती सूची पर उनका हस्ताक्षर था, जिसे वह पहचानते थे, इसे प्रदर्श—P1/1/PW6 अंकित किया गया था। गिरफ्तारी मेमों पर भी उनका हस्ताक्षर था, जिसे वह पहचानते थे, इसे प्रदर्श—P2/1/PW6 अंकित किया गया था। यह साक्षी इस बात से इन्कार करते हैं कि वह पुलिस को बयान दिये थे कि दिनांक 01.10.2019 को लल्लू चौधरी के छत्तेदार मकान के प्रथम तल्ला से चार अलग—अलग गैलन में कुल 20 लीटर रावा, उबलता हुआ छोवा, शराब बनाने का उपकरण, दो एल्युमिनियम का तसला बरामद हुआ था। पुलिस सादा कागज पर उनसे हस्ताक्षर लिया था। लल्लू चौधरी उनके गॉव

का था। लल्लू चौधरी दूर का रिश्तेदार था। साक्षी यह भी इन्कार करते हैं कि अभियुक्त लल्लू चौधरी उनके रिश्तेदार होने के नाते उन्होंने झूठी गवाही दिया था।

साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पुलिस उनसे सादा कागज पर हस्ताक्षर लिये थे। वह उस दिन न्यायालय में स्वेच्छा से गवाही दिया था। वह नोटिस पर गवाही देने आया था। इस साक्षी ने इस बात से इन्कार किया है कि उसने झूठी गवाही दिया था।

(16). अभियोजन साक्षी सं0–07 मोहन कुमार झा हैं, इन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि अभियोजन के मांग पर इस काण्ड में जप्त प्रदर्श, सुरक्षित नमूना एवं विनष्टीकरण प्रमाण पत्र लेकर आया था। विनष्टीकरण प्रमाण पत्र कुल 02 पृष्ठों में है, जो बरबीघा थानाध्यक्ष के द्वारा सत्यापित किया हुआ था, जिसे वह पहचानते थे, इसे प्रदर्श–P6/PW-7 अंकित गया था तथा इस काण्ड से संबंधित विनष्टीकरण प्रमाण पत्र के कम संख्या–16 पर अंकित था, जिसमें कुल 20 लीटर छोवा बरामद हुआ था, जिसमें से एक लीटर जॉच हेतु भेजा गया एवं एक लीटर सुरक्षित रखा गया तथा शेष 18 लीटर छोवा विनष्ट कर दिया गया, जिसे वह पहचानते थे, विनष्टीकरण के कम संख्या–16 को प्रदर्श–P6/1/PW-7 अंकित किया गया था। यह वही सुरक्षित नमूना था, जिसे न्यायालय कार्य के लिए रखा गया था जो प्लास्टिक के बोतल में सीलबंद था। जिस पर केस नम्बर–220/19, एम.आर. नम्बर–35/19 अंकित था, जिसे वह पहचानते थे, इसे प्रदश–M1/PW-1 अंकित किया गया था। घटना के समय जप्त दो एल्युमिनियम का तसला था, जिस पर केस नम्बर–220/19, एम.आर. नम्बर–35/19 अंकित था, जिसे वह पहचानते थे, इसे कमशः प्रदर्श–M2/PW-7 & M3/PW-7 अंकित किया गया था। एक मिट्टी का शराब चुलाने वाला उपकरण था, जिसमें पाईप लगा हुआ था, जिस पर केस नम्बर–220/19, एम.आर. नम्बर–35/19 अंकित था, जिसे वह पहचानते थे, इसे कमशः प्रदर्श–M4/PW-7 अंकित किया गया था।

साथ ही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि सुरक्षित नमूना पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। दोनों एल्युमिनियम एवं उपकरण पर भी किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। उपरोक्त प्रदर्श उन्होंने मालखाना से लाया था, किन्तु मालखाना से लाने के लिए उनके पास प्राप्ति रसीद नहीं थी। यह साक्षी इस बात से इन्कार किया है कि वह झूठी गवाही दिये थे। साक्षी इस बात से भी इन्कार करते हैं कि उन्होंने वरीय पदाधिकारी के कहने पर झूठी गवाही दिया था।

(13.) बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क में कथन किया गया है कि अभियोजन साक्षी संख्या 01 के द्वारा प्राथमिकी में थाना से चलने की बात 11:05 पर अंकित किया गया है, लेकिन जप्ती सूची में समय 10:40 और गिरफ्तारी मेमों में 10:55 लिखा गया है,

जो कि विरोधाभासी प्रतीत होता है। अभियोजन साक्षी सं0—02 के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में थाना से चलने की बात 10:05 लिखा गया था और जप्ती सूची 10:40 पर बनी थी, ऐसा लिखा गया है यह भी विरोधाभासी कथन प्रतीत होता है। जबकि प्राथमिकी में घटना की सूचना 10:05 में देने की बात कही गयी है और प्राथमिकी 11:55 पर दर्ज की गयी है। जब प्राथमिकी 11:55 में दर्ज की गयी है तो प्रतिपरीक्षण में अभियोजन साक्षी सं0 01 और 02 के द्वारा कहा गया है कि 11:05 में घटनास्थल पर रवाना हुए, बिल्कुल ही गलत है। अभियोजन साक्षी सं0—02 ने कंडिका सं0—05 में कहा है कि जिस समय पकड़े थे तो उस समय अभियुक्त के पास कुछ भी बरामद नहीं हुआ था। अभियोजन साक्षी सं0—03 के प्रतिपरीक्षण के कंडिका सं0 06 में साक्षी द्वारा कहा गया है कि उसने घटनास्थल के चौहद्दी—दारों का बयान नहीं लिया था। जिस घर में छापामारी की गयी, यह भी पता नहीं किया गया है। घटनास्थल पर जिस घर में छापामारी की गयी, वह कागजात भी नहीं देखा कि वह किसका घर है? अभियोजन साक्षी सं0—03 का कहना है कि जप्ती सूची उनके सामने नहीं बना था। अभियोजन साक्षी सं0—04 कंडिका सं0—04 में कहा है कि जिस समय अभियुक्त को पकड़े थे, उसके पास से कोई भी समान बरामद नहीं हुआ था और न ही अभियुक्त के घर से शराब बरामद हुआ था। अभियोजन साक्षी सं0—05 एवं 06 पक्षद्रोही साक्षी हैं। अभियोजन साक्षी सं0 07 मोहन कुमार के द्वारा प्रतिपरीक्षण के कंडिका 03 में कहा है कि सुरक्षित नमूना कोर्ट के समक्ष लाया गया था, लेकिन उस पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं कराया गया था। दोनों एल्युमिनियम एवं उपकरण पर भी किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त प्रदर्श मालखाना से लाया हूं, किन्तु मालखाना से लाने के लिए उसके पास कोई प्राप्ति रसीद नहीं थी।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि अनवर P.V बनाम् P.K वसीर 2014 में भारतीय कानून का सबसे ऐतिहासिक Landmark Judgment हैं, जिसमें Electronic सबूतों के लिए धारा 65(b) का प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस केस में स्पष्ट कहा था कि यदि कोई Electronic Record कोर्ट में लाया जाता है, इसके साथ धारा 65(b) का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। पुलिस के पास धारा 65(b) का प्रमाण पत्र नहीं है तो पुलिस किसी गवाह या Nodal पदाधिकारी को कोर्ट में बुलाकर साबित नहीं कर सकती तथा साल 2020 में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने अर्जुन पंडित राव खोतकर बनाम् कैलाश कुशनराव 2020—7SSC(1) के मामले में एतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(b) (4) का प्रमाण पत्र या कोई भी Electronic जैसे Call, Data, C.D, Pan Drive साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह भी उनके द्वारा कहा गया है कि यदि पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करते समय या गवाही के दौरान Certificate पेश नहीं किया और सीधे जजमेंट के स्टेज आ गयी तो कोर्ट इसे गंभीर लापरवाही मानती है। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि चूंकि, वाद 2019 से लंबित है कि धारा 65(b) का प्रमाण पत्र, पुलिस जजमेंट के

स्टेज तक लाने में असफल रही है। अगर वह जजमेंट के स्टेज पर धारा 311 का पीटीशन भी देते हैं तो उसे भी नियमतः स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। बचाव पक्ष में अभियोजन पक्ष के निर्णय के अंतिम चरण तक न्यायालय के समक्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 65(b)(4) का प्रमाण पत्र के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र पेश करने में पुरी तरह विफल रहा है। इस अनिवार्य प्रमाण पत्र के अभाव में पुलिस द्वारा पेश किये गये किसी भी Electronic Record को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता है और न ही उसको सबूत माना जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय के एतिहासिक फैसला में अनवर P.V बनाम् P.K वसीर 2014 मे Electronic Record Secondry Evidence के रूप में तब तक साक्ष्य में पूरी तरह से अमान्य है, जब तक धारा 65(b) का प्रमाण पत्र ना हो। दूसरी बात, उनके द्वारा आगे कही गयी है कि अभियोजन पक्ष कोर्ट में किसी पुलिस पदाधिकारी या Nodal पदाधिकारी का मौखिक गवाही करवाकर इस गंभीर कानूनी कमी को पूरा नहीं कर सकता। धारा 65(b) का प्रमाण पत्र दाखिल नहीं किया गया, इस कमी को पुरा नहीं किया जा सकता है। कानूनन धारा 65(b) के लिखित प्रमाण पत्र की जगह मौखिक बयान स्वीकार नहीं है।

यह कि वर्तमान मामला वर्ष 2019 में दर्ज किया गया है। मामले पिछले कई वर्षों से लंबित रहा है और निर्णय के अंतिम चरणों में पहुंच चुका है। लगभग 6—7 वर्षों तक पुलिस द्वारा कोर्ट में सर्टिफिकेट पेश न करना, उसकी घोर लापरवाही को दर्शाता है। चूंकि, उत्पाद के मामलों में शराब बरामदगी को दिखाने के लिए और उसमें पारदर्शिता रखने के लिए Audio, Video, Recording अनिवार्य रूप से कराकर ही शराब की बरामदगी को निःसंदेह साबित किया जा सकता है, किन्तु, अन्य स्वतंत्र या विश्वसनीय या ठोस भौतिक सबूत पुलिस के पास इस केस में दिखायी नहीं देता है, जिससे अभियोजन का वाद संदेहास्पद हो गया है और संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है। अतः अभियुक्त दोषमिुक्त के योग्य है।

(14). अभियोजन के द्वारा अपने साक्ष्य के समर्थन में कहा गया है कि अभियोजन द्वारा तीन साक्षियों का साक्ष्य कराया गया है, जो कि सूचक, अनुसंधानकर्ता, जप्ती सूची के गवाह एवं जांचकर्ता हैं। सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किये हैं तथा अभियोजन द्वारा गिरफ्तारी ज्ञापांक एवं शराब जप्ती एवं जांच प्रतिवेदन, विनष्टीकरण इत्यादि को प्रदर्श कराये हैं। उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का तर्क है कि इस मौखिक साक्षियों के साक्ष्य एवं प्रदर्शों से अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्त दोषसिद्धि के लायक हैं।

(15). उभयपक्षों, के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा किये गये विद्वतापूर्ण बहस को सुना गया।

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः— सतीश कुमार झा
निर्णय की तिथिः— 27.07.2026
उत्पाद वाद सं0.-332/2019
बिहार राज्य बनाम् लल्लू चौधरी।

(16). अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियोजन द्वारा इस वाद में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(b) का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा घटना के समर्थन के लिए सात साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष करवाया गया है, जो कि सूचक, अनुसंधानकर्ता एवं जप्ती सूची के गवाहन तथा शराब जांचकर्ता हैं। परंतु, PW1 के द्वारा प्रतिपरीक्षण के कंडिका सं0—03 में कहा है कि प्राथमिकी में थाना से चलने की बात 11:05 पर अंकित किया गया है, लेकिन जप्ती सूची में समय 10:40 और गिरफ्तारी मेमों में 10:55 लिखा गया है तथा PW2 के अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका सं0—03 में कहा है कि वे लोग 10:05 पर थाना से निकले थे तथा जप्ती सूची 10:40 पर बनी थी एवं PW4 ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि थाना से 10:15 बजे रात्रि में निकले थे तथा जप्ती सूची में 10:40 बजे अंकित है, जो कि परस्पर गंभीर विरोधाभासी कथन प्रतीत होता है।

PW3 के प्रतिपरीक्षण के कंडिका सं0 06 में साक्षी द्वारा कहा गया है कि उन्होंने घटनास्थल के चौहद्दी—दारों का बयान नहीं लिया था। जिस घर में छापामारी की गयी, यह भी पता नहीं किया गया था। घटनास्थल पर जिस घर में छापामारी की गयी, वह कागजात भी नहीं देखा कि वह किसका घर है? PW3 आगे कहते हैं कि जप्ती सूची उनके सामने नहीं बना था।

PW4 ने अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका सं0—04 में यह भी कहा है कि अभियुक्त को गली से पकड़े थे, उस समय अभियुक्त के पास कोई सामान नहीं था। अभियुक्त के यहां से शराब बरामद नहीं हुआ था, सिर्फ छोवा एवं शराब बनाने का उपकरण बरामद हुआ था

PW5 एवं PW6 पक्षद्रोही साक्षी हैं, PW5 प्रतिपरीक्षण के कंडिका सं0—06 में कहा है कि थाना चौक के पास वह ठेला लगाते थे। वहीं से पुलिस बुलाकर थाना पर उनके द्वारा सादा कागज पर टिप्पा ले लिया गया था। PW5 अपने प्रतिपरीक्षण के कंडिका सं0—06 में कहा है कि पुलिस उनसे सादा कागज पर हस्ताक्षर लिये थे।

PW7 ने प्रतिपरीक्षण के दौरान कंडिका सं0— 03 में कहा है कि सुरक्षित नमूना पर किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था, दोनों एल्युमिनियम एवं उपकरण पर भी किसी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं था। उपरोक्त प्रदर्श मालखाना से लाया था, किन्तु मालखान से लाने के लिए उनके पास प्राप्ति रसीद नहीं थी।

इतना ही नहीं, घटनास्थल किसका है, इससे संबंधित किसी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है। अभियुक्त के सचेतन कब्जे से शराब की बरामदगी नहीं किया गया था, बल्कि, घटनास्थल से छोवा बरामद किया गया था। अभियोजन पक्ष जप्त छोवा और जप्ती सूची को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। उपर्युक्त तथ्यों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियोजन का वाद संदेहास्पद हो गया है और विधि का यह एक सर्वविदित सिद्धांत है कि संदेह का लाभ सदैव अभियुक्त को दिया जाता है।

न्यायालयः अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश, शेखपुरा।
व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा, बिहार
उपस्थितिः– सतीश कुमार झा
निर्णय की तिथिः– 27.07.2026
उत्पाद वाद सं0.-332/2019
बिहार राज्य बनाम् लल्लू चौधरी।

तद्नुसार, इस वाद के अभियुक्त **लल्लू चौधरी** के विरुद्ध लगाये गये आरोप अंतर्गत भा0द0वि0 की धारा 272, 273 एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 30(a), 30(d) के आरोप से संदेह का लाभ देते हुए रिहा किया जाता है तथा अभियुक्त एवं इनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से भी उन्मोचित किया जाता है। कार्यालय लिपिक, नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में भेजने का निर्देश दिया जाता है।

मेरे द्वारा लेखापित, खुले
न्यायालय में उद्घोषित।

अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक–27.07.2026

(सतीश कुमार झा)
अनन्य विशेष उत्पाद न्यायाधीश,
शेखपुरा।
दिनांक–27.07.2026

Date of Judgement/Order	27-07-2026
Date Of Reserving Judgment/Order	27-07-2026
Uploading Date	11-08-2026
Uploaded by	Anjalee Ayyar (Stenographer)